न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 134/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राजसिंह आत्मज स्व0 श्योनारायण सिंह यादव जाति अहीर
निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर ।
:–– प्रतिवादी सं. 01 अपीलांट

बनाम

1 सुरेन्द्र सिंह आत्मज जालिम सिंह जाति अहीर
निवासीयान ग्राम गण्डाला तह0 बहरोड जिला अलवर ।
:–– वादीगण रेस्पो0

2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार, बहरोड जिला अलवर ।
:–– प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री उपखंड अधिकारी बहरोड दिनांक 18.7.17

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्रीमती प्रमिला यादव

2 वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री अमरसिंह यादव

निर्णय दिनांक 9.3.2018

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 47/16 में पारित निर्णय दिनांक 18.7.17 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत तकासमा प्रारम्भिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान तहत न्यायालय ने मुझको जवाब दावा एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया । पूर्व में तहत न्यायालय ने मेरी इकतरफा कर दी थी । इसके बाद मैंने आदेश 9 नियम 7 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो स्वीकार कर लिया गया । इसके बावजूद भी मुझको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया । विपक्षी को बिना सुने पारित किया गया निर्णय अवैधानिक होता है । अतः निवेदन है कि तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त करते हुये मेरी सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट लापरवाह है । इसीलिये पूर्व में इनकी इकतरफा कर दी गई थी । बाद में इनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे श 9 नियम 7 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर लिया गया और इनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर भी प्रदान कर दिया गया था ,परन्तु इन्होंने जानबूझकर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया । अब अपील प्रस्तुत कर प्रकरण में अनावश्यक देरी करना चाहता है । प्रस्तुत अपील प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ है, जिसमें कुर्रे कायमी होनी है और उसके बाद पक्षकारान की आपत्तियां आमंत्रित की जानी है । अगर अपीलांट को किसी प्रकार का कोई ऐतराज है तो तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें । अपील सारहीन है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपील में अपीलांट की मुख्य आपत्ति यही है कि उसे सुनवाई एवं जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है । इस सम्बन्ध में हमने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

तहत न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन निर्णय एवं अन्य आदेशिकाओं का अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान तहत न्यायालय ने मात्र इतना सा लिखा है कि अवलोकन किया गया, प्रकरण भूमि बंटवारा का है, प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है । यह निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । तहत न्यायालय को चाहिये था कि प्रतिवादी अपीलांट से जवाब दावा एवं साक्ष्य लेकर आदेश 14 नियम 01 एवं आदे श 20 नियम 05 के अनुसार तनकियात कायम कर उन तनकियों पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में हम प्रतिवादी अपीलांट के जवाब दावा एवं सुनवाई साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.7.17 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रतिवादी से जवाब दावा लेकर तनकियात कायम करते हुये उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 9.4.2018 को उपस्थित हों ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner